5394(E)
15/7/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-15.07.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, कोचस के अन्तर्गत आवासीय भवन, कोचस के निर्माण कार्य वर्ष 2014–15 के पूरक परिमाण विपत्र के अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–3330अनु० दिनांक–30.11.2018 के द्वारा विषयांकित कार्य के पूरक परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, कोचस के अन्तर्गत आवासीय भवन, कोचस के निर्माण कार्य वर्ष 2014–15
2.2	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹69.37 लाख। विभागीय पत्रांक–11970(एस) दिनांक 11.12.2014
2.3	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹69.41 लाख। अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा का पत्रांक–459अनु0 दिनांक 30.04.2016
2.4	एकरारनामा संख्या	:	7F2/2015-16
2.5	मूल एकरारनामा की राशि	:	₹52.80370 लाख।
2.6	पूरक परिमाण विपत्र की राशि	:	₹18,54,437.00
2.7	कार्य प्रारंभ की तिथि	:	20.08.2015
2.8	कार्य समाप्ति की तिथि	:	22.08.2016

2.9 विषयांकित कार्य के पूरक परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग के पत्रांक–1583अनु० दिनांक–10.08.2017 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति के अनुशंसा के आलोक में दिनांक–20.09.2017 को सम्पन्न बैठक में विभागीय निविदा समिति द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया था :– "समीक्षा के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई कि विषयांकित कार्य की लागत में वृद्धि का कारण Foundation की प्रकृति बदलाव किया जाना है। परन्तु किस परिस्थिति में इस कार्य के मूल प्राक्कलन में समावेशित नहीं किया गया था, इसका उल्लेख तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अपनी अनुशंसा में नहीं किया गया है। पूरक परिमाण विपत्र के अनुमोदन के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है। मूल प्राक्कलन यथोचित प्रावधान नहीं करने के लिये दोषी पदाधिकारियों पर मुख्य अभियंता कार्रवाई कर आवश्यक हो तो मुख्य अभियंता सभी तथ्यों को समावेशित करते हुए कार्यों के Justification सुविचारित प्रस्ताव दें।"

2.10 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3330(अनु0) दिनांक–30.11.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की कार्यवाही में पूरक परिमाण विपत्र का कारण निम्नवत प्रतिवेदित है :–

(i). (ix) तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन (DPR) Model Estimate पर आधारित था। इसमें Simple Open foundation का प्रावधान था।

(ii). (x) तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन (DPR) Foundation की मिट्टी जाँच के पश्चात् Detailed Design (Earth quake resistant) के आधार पर Consultant द्वारा तैयार किया गया तथा इसका Proof Check NIT, Patna से कराने के बाद विभाग को समर्पित किया गया। इसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन द्वारा प्रदान की गई है।

(iii) (xi) यह कार्य तकनीकी स्वीकृति प्राप्त Design Drawing एवं प्राक्कलन के आधार पर कराया गया हैं।

(iv) (xii) तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में Pile Foundation का प्रावधान है, जिसमें 20mm dia एवं 25mm dia Reinforcement का प्रावधान है। इसके कारण कार्य की लागत में वृद्धि हुई।

3. तकनीकी मूल्यांकन समिति का अनुशंसाः–

पूरक परिमाण विपत्र के सभी कार्य मद तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन से आच्छादित है। पूरक परिमाण विपत्र की राशि रू0 18,54,437.00 है, जो मूल एकरारनामा की राशि रू0 52,80,370.00 से 35.12% अधिक है।

दिनांक–20.09.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही जो विभागीय पत्रांक–5587(E) दिनांक–05.10.2017 द्वारा संसूचित है, में पृच्छा किये गये Foundation की प्रकृति में बदलाव की परिस्थिति एवं कारण क्रमांक (ix), (x), (xi) एवं (xii) में स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार कोई पदाधिकारी दोषी नहीं है।

उल्लेखनीय है कि संवेदक द्वारा ससमय कार्य पूर्ण किया गया है।

PWD Code के नियम 182A के आलोक में पूरक परिमाण विपत्र के अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की सहमति प्राप्त करने की अनुशंसा पुनः समर्पित की जाती है।

15/7/19 15/7/19

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :–

4.1 मुख्य अभियंता(या0), दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–3330अनु० दिनांक–30.11.18 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पथ प्रमंडल, कोचस के अन्तर्गत आवासीय भवन, कोचस के निर्माण कार्य वर्ष 2014–15 के पूरक परिमाण विपत्र अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4.2 विचलन के मदों को शामिल किये जाने के पश्चात् कुल व्यय प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹69.37 लाख तक सीमित रखी जाए।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी प्रदर्शित की जाय।

15/7/19
(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

15.7.19
(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव–सह–आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

15/7/19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध –157/2016(अंश संचिका)– 5394(E) पटना, दिनांक 15/7/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कोचस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।